

फर्द अहकाम

आयालय
ख्या

कोशिका बनाम राज. न. १७१८

१००२१६५७
१/५ का. १०

प्रमाणित
दिनांक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/9/20	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य का हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 14/9/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>	
14/11/20	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य का हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 25/11/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>	
25/11/20	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य का हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 16-12-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>	
16/12/20	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य का हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 20/12/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>	
२०-१-२१	<p>पत्रावली आज दिनांक २०-१-२१ का अन्वयार्थ देते देते हैं। वकील जमी उपाय / वकील जमी ने उपाय के दायरे में रिपोर्ट व एचकेडी कोर जानकारी देते हैं। इस जाति (किसी) वि. जमी कानून अन्वय के कारण न्यायिक कार्य स्थगित किया गया है।</p> <p>एतके पत्रावली का अन्वयार्थ किया गया आज्ञा के अन्वय में रिपोर्ट का अनुरोध करने पर पत्रावली दिनांक २५/१२/२० में जमी कानून अन्वय ही पूर्व का अनुरोध है जो खीला किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पेश की जा रही है।</p> <p>धारा ३६ L.R.A. में गती माने से शीघ्रतः प्रमाणित होना चाहिए।</p> <p>ए। पत्रावली के लिए आज्ञा के अन्वय में प्रमाणित किया गया है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
आइपुरा जिला जयपुर